रजिस्ट्री सं डी. (डी.एम.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 180] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 24, 1987/भाद्र 2, 1909
No. 180] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 24, 1987/BHADRA 2, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

14.10.87

लोक सभा

अधिसूचना

नयी दिल्ली, 24 अगस्त, 1987

सं. 46/1/सी आई/87.—लोक सभा के दिनांक 21 अगस्त, 1987 के समाचार-भाग दो में प्रकाशित निम्नलिखित पैरा सामान्य जानकारी के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

"संख्या 1822

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के अन्तर्गत अध्यक्ष के निदेशों में संशोधन (तीसरा संस्करण)

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (छठा संस्करण) के नियम

389 के अनुसरण में, अध्यक्ष ने अध्यक्ष के निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किए हैं :—

निदेश-2

निदेश 2 में,

(क) मद '(बारह) ध्यानाकर्षण सूचनाएं' का लोप किया जायेगा तथा मद (तेरह) से (उन्नीस) को मद (बारह) से (अठारह) के रूप में पुनःक्रमांकित किया जायेगा; और

(ख) इस प्रकार पुनःक्रमांकित मद (अठारह) के बाद निम्नलिखित शामिल किया जायेगा, अर्थात् :—

'(उन्नीस) ध्यानाकर्षण सूचनाएं'।"

सुभाष काश्यप, महासचिव ।

LOK SABHA

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 1987

No. 46/1/CI/87.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin-Part II, dated the 21st August, 1987 is hereby published for general information :—

"No. 1822

Amendments to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Third Edition)

In pursuance of Rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of

Business in Lok Sabha (Sixth Edition), the Speaker has made the following amendments to Directions :—

DIRECTION 2

In Direction 2,

(a) Item '(xii) Calling Attention Notices' shall be ***deleted*** and items (xiii) to (xix) shall be re-numbered as items (xii) to (xviii); and

(b) *after* item (xviii) so re-numbered, the following shall be inserted, namely:—

'(xix) Calling Attention Notices'."

SUBHASH C. KASHYAP, Secretary-General.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987